अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 39/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. लालचन्द खोडा पुत्र श्री ईश्वर लाल जाति बाल्मिकी, निवासी प्लाट नम्बर 17, कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा नगर, राजामल का तालाब, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. मनीष उर्फ सोनू पुत्र लालचन्द खोडा
2. श्रीमती पूनम उर्फ पूरण पत्नी मनीष उर्फ सोनू

समस्त निवासियान प्लाट नम्बर 17, कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा नगर, राजमल का तालाब, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 70/2022 व उनवानी लालचन्द खोडा बनाम मनीष उर्फ सोनू

उपस्थितः–

1. प्रतिनिधि अपीलार्थी की ओर से ।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 30.01.2024**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 70/2022 व उनवानी लालचन्द खोडा बनाम मनीष उर्फ सोनू में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी–अपीलकर्ता ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत भरण पोषण दिलाये जाने एवं मकान नम्बर 17, कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा नगर, राजमल का तालाब, जयपुर का कब्जा प्रत्यर्थीगण से दिलवाये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 4, 5, 9 व 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 15.09.2022 को किया गया और मिन आदेश पारित किया गया । " प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भरण पोषण अधिनियम की धारा 4, 5, 9 व 23 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्व अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को मकान नम्बर 17, कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा नगर, राजामल का तालाब, जयपुर से बेदखल कर भौतिक कब्जा दिलावाते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की भविष्य में प्रार्थी को कब्जे से बेदखल नही तथा प्रार्थी के साथ भविष्य में मारपीट नहीं करे तथा न ही असामाजिक तत्वों से मिल कर मकान को बेचे । प्रार्थी को 11000/–रूपये मुकदमा खर्चा दिलवाया जावे। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपस्थित पक्षकारो को सुना जाकर पाया गया कि प्रार्थी नगर निगम जयपुर से सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी है। प्रार्थी अक्सर बीमार रहता है तथा अप्रार्थीगण से प्रताड़ित रहा है । इस संबंध में अप्रार्थीगण को आदेश द्वारा पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में प्रार्थी के साथ मारपीट गाली गलौच नहीं करे तथा वर्तमान निवास स्थल पर शान्ती पूर्वक निवास करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे । इस संबंध में थानाधिकारी को तहरीर जारी हो ।" अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विरूद्व आलौच्य आदेश है जिससे प्रार्थी को संरक्षण आदेश तो दिया गया है लेकिन कब्जे के बाबत आदेश मौन है जिसके कारण प्रार्थी मान्य अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश कर रहा है। अपील स्वीकार की जाकर विवादित आलौच्य आदेश दिनांक 15.09.2022 को अपास्त करते हुये प्रत्यर्थीगण से विवादित मकान का अपीलार्थी को कब्जा दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा बाद सुनवाई व साक्ष्य के आधार पर न्याय संगत निर्णय पारित कर दिया गया है । अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अवैद्यानिक होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के तीन पुत्र है जिसमे बडे पुत्र मनोज को अपीलार्थी ने विद्याधर नगर जयपुर में अपने स्वयं के खर्चे पर राजकीय सेवा में रहते हुए मकान बना कर दिया है जहां वह परिवार सहित रहता है व छोटे पुत्र सुधीर व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपने परिवार सहित उक्त निवास स्थान पर निवास कर रहे है। अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय सेवा से सेवा निवृत्ति के पश्चात मिलने वाले परिलाभ राज्य सरकार से प्राप्त कर रहा है । उक्त सभी आधार पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी का परिवाद निर्णित किया है जो सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है प्रथम, अपीलार्थी ने मुकदमा खर्चा 11000/–रूपया चाहा है। अधिनियम मे केवल भरण पोषण राशि अधिकतम 10,000/– रूपये दिये जाने का ही प्रावधान है अन्य कोई राशि दिलाये जाने कोई प्रावधान भी नहीं है। प्रार्थी नगर निगम से सेवा निवृत्त कर्मचारी है, जिसे पर्याप्त पेंशन राशि मिलती है। इसलिए अपीलार्थी का यह अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। द्वितीय, अपीलार्थी ने विवादित मकान से प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधीस्थ अधिकरण ने प्रत्यर्थीगण को पान्चद कर रखा है कि भविष्य में प्रार्थी के साथ मारपीट, गाली–गलोच नहीं करे तथा उन्हें वर्तमान निवास स्थल पर शाान्ति पूर्वक निवास करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। हम अधीनस्थ अधिकरण का आदेश उचित पाते है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। अधीनस्थ अधिकरण के आलौच्य आदेश की पालना कराया जाना अपेक्षित है। अतः आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य आदेश 15.09.2022 की पालना कराया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

9. निर्णय आज दिनांक **30.01.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner